फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं

लल्लूराम बनाम हनुमानसहाय वगै0

नम्बर :– 80/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
18.11.2022	वकिल प्रार्थी ब्रिजेन्द्र सिंह चौधरी ने द्वितीय प्रार्थना पत्र टी0आई0 पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस अन्तरिम पर वकिल प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थना एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उभयपक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1992, 1993, 2007, 2008 ता 2012 कुल किता 8 का कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर वाके ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं जयपुर के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इसमें कोई आपत्ती हो तो आगामी दिनांक 21.12.2022 को पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर ए0 डी0 से नोटिस तामील करवाया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 21.12.2022. को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	
21/12/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/1/23 को पेश हो। [signature]	
23/1/23	व० प्रार्थी उपस्थित। तलबी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी तलबी नहीं करवाई गई। अतः पत्रावली बार-बार न्यायालय आदेशों की अवहेलना किये जाने से 09R5 आर०पी०सी० के तहत [illegible] की जाती है। पत्रा[illegible] शुमार [illegible] कम हो। [illegible] है। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner